प0सं0 - वि0अनु0शा0/ मु0/ स0प0/ 2022-23/ 01/ MIS से संबन्धित / 3030 / राज्य कर

कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)

दिनांकः 02 फरवरी, 2023

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1, राज्य कर
अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0), राज्य कर
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक), राज्य कर
उत्तर प्रदेश।

विषय: वि0अनु0शा0 संदर्भित वादों के निस्तारण संबंधी MIS Module में यथा संशोधित "SMS-04" में फीडिंग किए जाने विषयक।

महोदय,

आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार विभागीय MIS module के SMS-04 मॉड्यूल में वि0अनु0शा0 वादों के निस्तारण संबंधी फीडिंग को अद्यतन कराने हेतु पत्र संख्या - 2884 दिनांकः 17-01-2023 प्रेषित किया गया था, जिसमें कॉलम - 12 में की जाने वाली एन्ट्री के संबंध में कुछ अधिकारियों के स्तर पर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि SGST अधिनियम की धारा - 74(11) में स्पष्ट प्रावधान है कि -

"where any person served with an order issued under sub-section (9) pays the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent of such tax within thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded."

अतः समस्त अधिकारी अवगत होना सुनिश्चित करें कि कॉलम - 12 में Determination Proceeding Concluded की स्थिति उसी अवस्था में मानी जाएगी जब व्यापारी पर न्याय-निर्णयन आदेश तामील होने के एक माह के अंदर व्यापारी द्वारा कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि जमा करा दी जाये। इस प्रकार के Proceeding Conclude की एन्ट्री SMS-04 के कॉलम - 12 में की जाएगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि GST अवधि के वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों के वि0अनु0शा0 जांच संबंधी समस्त मामलों का अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए संशोधित आंकड़ों की फीडिंग तदनुसार कराना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।